

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण सं. / 2025 / 122 /
GCMS NO. 2025/785 --: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पादरु व भूअनि पादरु
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा
आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र।
पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार
सिवाना/सम्दड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है:-

| क्र.सं | ग्राम | खसरा संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------|-------------|---|--|
| 1 | पादरु | 1096. | वेना राम पुत्र हिकमा | वेना राम पुत्र हिकमा राम |

(सुरेन्द्र सिंह खेरोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025/ 122
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 24.12.2025

1. तहसीलदार सिवाना/सम्दड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री. वेना राम पुत्र हिकमा राम जाति देवासी पादरु को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

